

नियम 14 : भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को पूर्ति करने वाले ¹[या भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग पूर्ति करने वाले] किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना

- (1) भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को पूर्ति करने वाला ²[या भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाले] कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन सामूहिक या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी आरईजी-10** में प्रस्तुत करेगा।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदक को, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन और ऐसे अधिकारी द्वारा, जो परिषद् की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, **प्ररूप जीएसटी आरईजी-06** में प्रदान किया जाएगा।

¹ अधिसूचना क्रमांक 51/2023-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2023 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.2023)। 01.

² अधिसूचना क्रमांक 51/2023-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2023 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.2023)। 01.